

बिहार सरकार
वित्त विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक-.....

संख्या-1/स्था०(अंके०)-04/2023...../वि०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार अंकेक्षण सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को उप निदेशक के पद का उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है-

क्र.	पदाधिकारी का नाम	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2023/2008 के अनुसार)	वर्तमान पद/वेतन स्तर
1	2	3	4
1	श्री मनोज रंजन	(41/465)	सहायक निदेशक (वेतन स्तर-11)
2	श्री रविन्द्र कुमार	(61/503)	सहायक निदेशक (वेतन स्तर-11)
3	श्री मनोज कुमार	(73/517)	सहायक निदेशक (वेतन स्तर-11)
4	श्री संजय कुमार	(79/528)	सहायक निदेशक (वेतन स्तर-11)
5	श्री संजय कुमार	(81/533)	सहायक निदेशक (वेतन स्तर-11)
6	श्री उमेश चन्द्र झा	(84/542)	सहायक निदेशक (वेतन स्तर-11)
7	श्री विकास कुमार चरण	(85/544)	सहायक निदेशक (वेतन स्तर-11)
8	श्री संजय कुमार	(86/545)	सहायक निदेशक (वेतन स्तर-11)
9	श्री सुधीर कुमार मिश्र	(88/553)	सहायक निदेशक (वेतन स्तर-11)

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उप निदेशक विहित वेतनमान (वेतन स्तर-12) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपरोक्त पदाधिकारियों के अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार हेतु आवश्यक अर्हता नहीं होने का तथ्य भविष्य में परिलक्षित होने पर उक्त पदाधिकारी को उच्चतर पद पर दी गई अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार के आदेश को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से वापस लिया जा सकेगा।

5. पदाधिकारियों को उनके उप निदेशक का पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

(राम चन्द्र मंडल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/स्था०(अंके०)-04/2023...../वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1 / स्था०(अंके०)-04 / 2023...../वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-अवर सचिव, प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण संस्करण में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1 / स्था०(अंके०)-04 / 2023...../वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

R Mandal

03/04/2025

सरकार के अवर सचिव।